FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी

वकीलचन्द पुत्र प्यारेलाल जाति अरोडा निवासी वार्ड नं. 26 पारीक कोलोनी, हनुमानगढ जिला हनुमानगढ राज0 हाल जालोपुर फतेहबाद, हरियाणा–125051

बनाम

अप्रार्थी

1. राज0 सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, नागौर।
2. जिला रसद अधिकारी, नागौर।

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 6 **सन्** 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.01.2022	वकील प्रार्थी ने धारा 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना खींवसर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 321/2021 अपराध अन्तर्गत धारा धारा 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में जब्त शुदा वाहन को जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित दिनांक 24.01.2022 को पेश करे। पत्रावली दिनांक 24.01.2022 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
24.1.22	वकुलाय ने आज कोरोना महामारी संक्रमण के कारण न्यायिक कार्य स्थगित रखा है। RO साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27.1.22 को पेश हो।	
27-1-22	प्रार्थी की ओर से वकील श्री सहदेव चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री कौशलसिंह राठौड़ उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि जब्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर एचआर 39 डी 5019 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है अन्य कोई मालिक दावेदार नहीं है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है, जो प्रार्थी की आजीविका का साधन है। प्रकरण की ट्रायल में लम्बा समय लगने की संभावना है। उक्त वाहन दिनांक 24.12.2021 से पुलिस थाना खींवसर द्वारा एफ.आई.आर नं–321/2021 प्रकरण में जब्त है। प्रार्थी के वाहन की किसी भी रूप में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कोई अपराधिक कार्य में लिप्तता नहीं रही है। प्रकरण हाजा में उक्त वाहन की पुलिस को कोई आवश्यकता नहीं रही है। उक्त वाहन रख रखाव के अभाव में पड़ी खराब होने की पुरी संभावना है। दौराने मुकदमा प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित हर शर्त व आदेश की पालना करेगा, तलब करने पर लाकर पेश कर देगा, खुर्द–बुर्द, गिरवी, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करेगा, का कथन करते हुए प्रकरण में जब्तशुदा	कुल 08 कागज द.उ.आ.नं. 1347 PS खींवसर 27-1-22

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौ० प्रार्थना पत्र सं० 06/2022
वकीलचन्द V/s राज० सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

27/1/22 (लगातार)

वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में जब्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर एचआर 39 डी 5019 की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत असल दस्तावेज बाद अवलोकन वकील प्रार्थी को लौटाये गये। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना खींवसर के प्रकरण संख्या 321/2021 में जब्त कर रखा है। प्रकरण के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.01.2022 के अनुसार प्रकरण में जब्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर एचआर 39 डी 5019 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रार्थी को उक्त जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में 14,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये चौदह लाख मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर की राशि का जमानतनामा, नीचे अंकित शर्तों अनुसार, उपखण्ड अधिकारी खींवसर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जाने पर, उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर को पुलिस थाना खींवसर के प्रकरण संख्या 321/2021 में जब्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर एचआर 39 डी 5019 प्रार्थी वकीलचंद पुत्र श्री प्यारेलाल जाति अरोड़ा उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 26 पारीक कोलोनी, हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ हाल जालोपुर फतेहबाद, हरियाणा–125051 को उक्त जब्तशुदा वाहन अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं हो तो नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी की जावे।–

1. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग–रोगन व ढ़ाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
2. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा।
3. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

उपखण्ड अधिकारी खींवसर को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा थानाधिकारी खींवसर द्वारा उक्त वाहन व असल दस्तावेज प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी खींवसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पुलिस थाना खींवसर की मूल केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार होकर व नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)